आदेश पत्रक

न्यायालय उपजिलाधिकारी :

मण्डल आगरा:,जनपद मथुरा:,तहसील मांट:

वाद संख्या -:03462/2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या -:T202001500403462

सरकार बनाम अतिकर्र रहमान आदि

अंतर्गत धारा-: 107/116/151, अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता -:

थाना–मॉट

WWW.LIVELAW.IN

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही थानाध्यक्ष, मॉट की चालानी रिपोर्ट दिनांक 06–10–2020 के आधार पर प्रचलित हुई है। इस प्रकरण के तथ्य यह है कि:– **''उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार एस0एच0ओ0 मय हमराही टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रैसवे पर भूलगढ़ी हाथरस (जहॉ बहुचर्चित मनीषा वाल्मीक की मृत्यु को लेकर विवाद था) जाने वालो की चैकिंग कर रहे थे। नोएडा की तरफ से शिफ्ट डिजार गाड़ी नं0 डी0एल0सी0 1203 में सवार उपरोक्त लोग आये और कहने लगे मृतका मनीषा बहन को न्याय दिलाने हाथरस जा रहे हैं हम पुलिसवालों ने काफी समझाया नही माने बल्कि उत्तेजित होकर कहने लगे चाहे हाथरस में जाकर मरना या मारना पड़े हम नहीं मानेगें। इनके तेवर देखकर प्रतीत हो रहा था कि ये लोग आवश्यक रुप से हाथरस में जाकर शांति व्यवस्था भंग करेंगें इनके इस तरह के भावों व कृत्य से समझाने का प्रयास किया नहीं माने और इस बात पर अड़े रहे कि हम हाथरस जरूर जायेगें चाहे वहॉ शांति व्यवस्था भंग हो जाये। अतः अन्तर्गत धारा 151, 107, 116 गिरफ्तार किया गया। यदि समय रहते गिरफ्तार न किया गया होता तो आवश्यक रुप से शांति व्यवस्था भंग हो जाती। इनका भविष्य में भी स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है। अतः रिपोर्ट इसलिये भेजी जा रही है कि शांति कायम रहे तथा जेल भेजा जाये।''**

तत्कालीन उपजिला मजिस्ट्रेट मॉट द्वारा नोटिस/आदेश **दिनांक 06–10–2020 अन्तर्गत धारा 111 दण्ड प्रक्रिया संहिता** उपरोक्त अतिकुर्रहमान आदि को इस आशय से प्राप्त कराया गया कि हाथरस की मृतका मनीषा को न्याय दिलाने की बात को लेकर उत्तेजित होने को लेकर विवाद है थानाध्यक्ष, मॉट ने अपनी आख्या में सूचित किया है कि आप शांति व्यवस्था भंग करने पर उतारू हैं अतः धारा 151, 107, 116 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही के तथ्य विद्यमान हैं। अतः आदेश किया जाता है कि 19–10–2020 को कारण बताये कि एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 1,00,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व दो विश्वसनीय प्रतिभूति जो उसी थाना सीमा के अन्तर्गत रहने वाले सम्भ्रान्त नागरिकों जिसका मुल्जिमानो पर पर्याप्त नियंत्रण हो सहित उतनी धनराशि के व्यक्तिगत मुचलके क्यों न दाखिल कराया जाये।

उपरोक्त नोटिस/आदेश विपक्षीगण को पढ़कर सुनाया गया जिसे मुल्जिमान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अतः इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी द्वारा मुल्जिमानो को अन्तर्गत धारा 167 सी0आर0पी0सी0 वारंट हवालात के तहत न्यायिक अभिरक्षा में नियमानुसार जेल भेज दिया गया ।

थानाध्यक्ष द्वारा ब्यान दिनांक 08–10–2020 इस आशय से प्रस्तुत किया कि–विपक्षीगण/अभियुक्तो को दिनांक 06–10–2020 मे इस न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे नियमानुसार जेल भेजा गया। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि उक्त चार अभियुक्तो को न्यायालय सी0जे0एम0 में पेश किया गया जहॉ से उनको जिला कारागार भेज दिया गया है तथा उन चारो अभियुक्तों के खिलाफ दिनांक 07–10–2020 को समय 6:13 बजे एक अपराध संख्या 199/2020 अन्तर्गत धारा 153ए, 295ए, 124 आई0पी0सी0, 17, 14, 65, 72, 75, 76, गैर कानूनी गति विधि नियम (रोकथाम) 1967 के तहत मुकदमा थाना मॉट जिला मथुरा मे पंजीकृत है जिसमे विवेचना जारी है।

WWW.LIVELAW.IN

आदेश पत्रक

न्यायालय उपजिलाधिकारी :

मण्डल आगरा:,जनपद मथुरा:,तहसील मांट:

वाद संख्या -:03462/2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या -:T202001500403462

सरकार बनाम अतिकर्र रहमान आदि

अंतर्गत धारा-: 107/116/151, अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता -:

आदेश दिनांक 19–10–2020 अन्तर्गत धारा 116(3) सी0आर0पी0सी0 तत्कालीन उपजिला मजिस्ट्रेट मॉट द्वारा थानाध्यक्ष के ब्यान दिनॉक 08–10–2020 के आलोक में इस आशय से पारित किया कि प्रभारी निरीक्षक की आख्या दिनांक 06–10–2020 का अवलोकन किया जिससे सन्तुष्ट हूँ यदि इनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही न की गयी तो विपक्षीगण द्वारा ऐसा कृत्य किया जा सकता है जिससे परिशांति/लोकशांति भंग हो सकती है। अतः तत्काल पाबंद किया जाना आवश्यक है। इस आदेश की तामील अभियुक्तगण पर नियमानुसार करायी गयी।

सुरक्षा कारणो से न्यायालय में पेश न करके वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से अभियुक्त पेश किये गये आदेश पढ़कर सुनाया कोई जमानतदार उपस्थित नहीं हुआ। अतः आदेश दिया गया कि विपक्षीगण 01 लगायत 04 इस कार्यवाही मे परिशांति बनाये रखने हेतु प्रत्येक को मुवलिग 1,00,000/–रुपये का व्यक्तिगत मुचलका व उतनी ही प्रतिभूति की एक–एक जमानतदार न्यायालय के समक्ष दाखिल करें ऐसा न किये जाने मे विपक्षीगण 01 लगायत 04 को 31–10–2020 तक अथवा वांछित बंध पत्र प्रतिभूतियॉ दाखिल करने तक जो भी पहले हो, न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाये।

पत्रावली के अनुसार दिनांक 31–10–2020 व लगातार तिथियॉ निरन्तर चल रहीं है लेकिन विपक्षीगण की ओर से कोई जमानतदार उपस्थित नहीं हुआ है। दिनांक 10–2–2021 को अभियुक्तगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ इस न्यायालय द्वारा वीडियों कॉलिंग के माध्यम से पेश अभियुक्तगण से पूछताछ की तो उनके द्वारा निम्न्वत कहा गया:–

> **"उनका मुकद्दमा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में जो आदेश होगा उसी के अनुसार कार्यवाही हो। अभियुक्तगण ने यह भी कहा कि उनके विरूद्व राजद्रोह का मुकद्दमा पैडिंग है। राजद्रोह के मुकद्दमे में वे जेल में निरूद्व है। अतः इस वाद में जमानत भी करा लेगें तो भी जब तक राजद्रोह के मुकद्दमे में जमानत नही होगी, वे जेल से रिहा नही होगे। अभियुक्तगण फिलहाल इस वाद में कोई कार्यवाही करने से इन्कार किये। "**

इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनॉक 11–06–2021 अन्तर्गत धारा 116 (8) द0प्र0संहिता इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण को दिनॉक 05–10–2020 मे उक्त मामले में धारा 151 द0प्र0संहिता गिरफ्तार कर दिनॉक 06–10–2020 को प्रथमतः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जहॉ उन्हे नोटिस अन्तर्गत 111 द0प्र0संहिता प्रदान किया गया और उनका प्रथम न्यायिक अभिरक्षक रिमाण्ड उसी दिन स्वीकृत किया गया, दिनॉक 06–10–2020 से इस मामले में लगातार हिरासत में है। अद्यतन प्रार्थीगण के विरूद्व इस मामले की कार्यवाही पूर्ण नही हुई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(8) के परन्तुक के अनुसार ऐसे मामले जहॉ अभियुक्त लगातार हिरासत में हो तो प्रकरण की कार्यवाही को 06 माह से आगे जारी नही रखा जा सकता है। अभियुक्तगण थाना मॉट जिला मथुरा के ही अन्य मु0अ0सं0 199/2020 धारा 153ए, 295ए, 124ए, 120बी आई0पी0सी0, 17/18 यू0पी0ए0 और 65/72 आई0टी0 एक्ट में दिनॉक 07–10–2020 से लगातार न्यायिक हिरास्त में जिला जेल मथुरा में है। ऐसी परिस्थितियों में इस थाने की स्थानीय अधिकारिता में प्रार्थीगण द्वारा शान्तिभंग की कोई संभावना ही नही है। अतः मामले कि कार्यवाही को समाप्त कर प्रार्थीगण अभियुक्त/अभियुक्तगण को रिहा किया जाये।

WWW.LIVELAW.IN

आदेश पत्रक

न्यायालय उपजिलाधिकारी :

मण्डल आगरा:,जनपद मथुरा:,तहसील मांट:

वाद संख्या -:**03462/2020**

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या -:**T202001500403462**

सरकार बनाम अतिकर्र रहमान आदि

अंतर्गत धारा-: **107/116/151,** अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता -:

पृष्ठ सं0 –3

अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र एवंम् पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण दिनॉक 06–10–2020 से ही इस मामले में लगातार हिरासत में है। धारा 116(3) सी0आर0पी0सी0 के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम बंध पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। लगातार इस मामले में तथा अन्य मामलों में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। 06 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है। अद्यतन उनके विरूद्व इस मामले की कार्यवाही पूर्ण नही हुई है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 116(8) के परन्तुक के अनुसार अभियुक्तगण के अभिरक्षा में होने की दशा मे कार्यवाही को आगे जारी नही रखा जाना चाहिये अन्यथा भी अभियुक्तगण अन्य मामले में जेल में निरूद्ध है तथा अभियुक्तगण इस थाने की स्थानीय अधिकारिता के सामान्य निवासी भी नहीं हैं। अतः मामले का निस्तारण अंतिम तौर पर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः इस वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 116(8) दण्ड प्रकिया संहिता समाप्त की जाती है। अभियुक्तगण उन्मोचित किये जाते है। अभियुक्तगण को इस मामले में अभिरक्षा से मुक्त किये जाये। इस आदेश की एक प्रति जिला कारागार अधीक्षक मथुरा को अनुपालनार्थ प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक 15–06–2021

(रामदत्त राम)
उपजिला मजिस्ट्रेट, मॉट
मथुरा।